बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रंमाक / स्वास्थ्य / 2022–23 / 2932-2936 दिनांक 11-03-22

(ई–निविदा सूचना 07 2022–23)

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में नगर निगम की उपलब्ध एक हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन एवं 03 सुपर शकर कम जेंटिग मशीन के संचालन, रख–रखाव, पीओएल आदि के साथ सीवर लाईन एवं मैनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य की निविदा हेतु पंजीकृत फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा का कुल अनुमानित लागत:– 241.24 लाख (2,41,24,760 / –)

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रंमाक / निर्माण / 2022–23 / 2932-2936 दिनांक 11-03-22

प्रतिलिपि:–

1. माननीय महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
2. उप–महापौर महोदय, नगर निगम बीकानेर।
3. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन:–
   - एक मुख्य क्षेत्रीय दैनीक सामाचार पत्र में।
   - एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक सामाचार पत्र एवं अखिल स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में RTPP नियमानुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई–मेल आईडी nagarnigambikaner@gmail.com, पर भिजवाने का श्रम करें।
4. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावें।
5. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमाक / स्वास्थ्य / 2022–23 / 2932-2936 दिनांक 11/3/22

(ई–निविदा सूचना 07 2022–23)

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में नगर निगम की उपलब्ध एक हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन एवं 03 सुपर शकर कम जेंटिग मशीन के संचालन, रख–रखाव, पीओएल आदि के साथ सीवर लाईन एवं मैनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य की निविदा हेतु पंजीकृत फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp. rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा का कुल अनुमानित लागतः– 241.24 लाख

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमांक / स्वास्थ्य / 2022–23 / 2937 - 2944 दिनांक 11/3/2022

(ई–निविदा सूचना 01 2022–23)

बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में नगर निगम की उपलब्ध एक हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन एवं 03 सुपर शकर कम जेंटिग मशीन के संचालन, रख–रखाव, पीओएल आदि के साथ सीवर लाईन एवं मैनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य की निविदा हेतु पंजीकृत फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp. rajasthan.gov.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

1	निविदा कार्य	बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में नगर निगम की उपलब्ध एक हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन एवं 03 सुपर शकर कम जेंटिग मशीन के संचालन, रख–रखाव, पीओएल आदि के साथ सीवर लाईन एवं मैनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य।
2	निविदा की कुल अनुमानित लागत	2,41,24,760 / –
03	कार्य की कुल समय अवधि	01 वर्ष
3	ऑनलाईन निविदा फोर्म मिलने की तिथि	दिनांक 14.3.2022 को 9.30 बजे से दि. 12.4.2022 तक सांय 06:00 बजे
04	ऑनलाईन निविदा फोर्म जमा कराने की तिथि	दिनांक 14.3.2022 को 9.30 बजे से दि. 12.4.2022 तक सांय 06:00 बजे
05	ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 15.4.2022 को दोपहर 3 बजे के बाद
06	ऑनलाईन वितिय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड में सफल फर्मो की ही वितीय बिड खोली जायेगी जिसके लिये अलग से सुचना दी जायेगी

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमांक / निर्माण / 2022–23 / 2937 - 2944 दिनांक........................

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् निदेशक एवं सयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
3. जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।
4. श्रीमान् उप महापौर, नगर निगम बीकानेर।
5. श्री उपायुक्त, नगर निगम बीकानेर।
6. श्रीमान् मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर।
7. श्री कोषाधिकारी, बीकानेर।
8. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

कार्य का नाम– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में नगर निगम की उपलब्ध एक हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन एवं 03 सुपर शकर कम जेंटिग मशीन के संचालन, रख–रखाव, पीओएल आदि के साथ सीवर लाईन एवं मैनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य।

1. **पात्रता की शर्ते तकनीकी बिड :–** निविदा में भाग लेने वाली फर्मो की तकनीकी जॉच निम्न बिन्दुओ के आधार पर की जायेगी उक्त बिन्दुओ अनुसार सफल निविदादाता की ही वितीय बिड खोली जायेगी।

क्र.सं	दस्तावेज का विवरण
01	निविदा शुल्क 2000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस जयपुर, 1000 रूपये भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
02.	बिड सिक्योरिटी राशि 4,82,495.2/– लाख का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan .gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
03.	फर्म/ संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र
04.	वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
05.	आयकर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
06	गत वित्तीय 04 वर्षो (2017–18,2018–19,2019–2020,2021–21) एवं चालु वर्ष वितीय वर्ष 2022–23 में से किसी वर्ष में सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन या सुपर शकर कम जेटिंग मशीन के माध्यम से सीवर लाईन एवं सीवर मैनहॉल की सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका में अधिशाषी अधिकारी नगर निगम में आयुक्त/उपायुक्त एवं अन्य विभाग में अधिशाषी अभियंता या अधिक ग्रेड, के अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। 1. कुल निविदा राशि का 75 प्रतिशत का एक कार्य या एक से अधिक कार्य नगरीय निकाय/सरकारी संस्था में हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन या सुपर शकर कम जेटिंग मशीन के माध्यम से सीवर लाईन एवं सीवर मैनहॉल की सफाई कार्य का अनुभव।
07	फर्म ब्लेक लिस्ट नही होने का 100 रू. का स्टाम्प पर शपथ पत्र।
08	फर्म का अंतिम 03 वर्ष का औसम टर्नऑवर निविदा राशि के 50 प्रतिशत के बराबर या अधिक होना चाहिए। फर्म को सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
09	निविदा की समस्त शर्तो के स्वीकार करने के लिये निविदा परिपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं सिल लगाकर निविदा परिपत्र की प्रतिलिपि अपलोड करना।
10	निविदादाता द्वारा आरटीपीपी के ऐक्ट के सेक्शन 7 एवं 11 मय घोषणा पत्र 100/– रू के स्टाम्प पर प्रतिलिपि।
11	संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'अ' में अन्डर टेकिंग 100/– रू के स्टाम्प पर देनी होगी।

नोट :– उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक निर्धारित मापदण्डों हेतु आवश्यक उलेखित दस्तावेज ई–निविदा में तकनिकी बिड के साथ अपलोड करने होगें। अपलोड किये गये दस्तावेजों के संबंध में निविदा समिति निविदादाता से स्पष्टिकरण मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पष्टीकरण के लिये दी गई समयवधि में प्रस्तुत नही करने पर निविदादाता को तकनीकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुवे। उसकी वित्तिय बिड नहीं खोली जायेगी। उक्त निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। सभी स्टाम्प पृथक–पृथक होने चाहिए तथा एक स्टाम्प पर एक से अधिक घोषणा पाई जाती है तो निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

7.3.22

2. निविदा की सामान्य शर्ते :–

1. निविदा प्रक्रिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रो को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हे। इन निविदाओ में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी। इस निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तो को विभाग की वेबसाईट www.bikanermc.org. एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
2. निविदा शुल्क 2000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 1000 रूपये भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. बिड सिक्योरिटी राशि 4,82,495.2/– लाख का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan .gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। असफल निविदादाता की बयाना/ईएमडी राशि/बिड सिक्योरिटी राशि सफल निविदादाता से अनुबंध करने के पश्चात् लौटा दी जावेगी एवं सफल निविदादाता की बयाना/ईएमडी राशि/बिड सिक्योरिटी राशि निविदादाता की स्वीकृति देने पर प्रतिभूति राशि में समायोजित भी की जा सकती है या निविदादाता द्वारा निवेदन करने पर निविदा राशि की 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि प्राप्त होने के पश्चात् वापस लौटा दी जावेगी।
4. निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार आमंत्रित की गई है जिसमें प्रथम भाग तकनीकी बिड का होगा जिसमें तकनीकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिये निर्धारित तकनीकी मापदण्डों से संबंधित प्रतियां ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तिय बिड होगी। जिसमें दर ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओ की वित्तिय बिड खोली जायेगी, जिसके लिये अलग से वित्तिय बिड खोलने की सूचना प्रेषित कर दी जायेगी।
5. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किये जायेगें। नगर निगम इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा। दरे एफ एण्ड आर या सभी कर संहित होगी।
6. निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क वापिस नहीं किये जायेगें।
7. निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति कार्य स्थल की सामान्य जानकारी आदि का निरीक्षण या जानकारी कर लेने की सलहा दी जाती है इससे संबंधित व्यय निविदादात को व्यय करना होगा।
8. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम शर्तो को ध्यान में रखते हुवे वित्तिय प्रष्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वित्तिय बिड मे प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयावधि में फिक्स रहेगी।
9. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
10. निविदा एवं कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तो, विवरण पर जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम बीकानेर में कार्यालय में समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
11. संविदा की अवधि 01 वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर एवं नई निविदा किसी कारणवंश नही होने पर नगर निगम आयुक्त कार्य की समयावधि 06 माह बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक होने पर कार्य की समयावधि 01 वर्ष बढाई जा सकती हैं एवं कार्य संतोषजनक नही होने अथवा अन्य परिस्थितियों होने पर किसी भी समय निगम निविदा निरस्त कर सकता हैं जिस पर कोई वाद मान्य नही होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
12. नगर निगम के द्वारा दर स्वीकृति पत्र देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएं 15 दिवस मे पूर्ण करनी होगी :–
    1. नियमानुसार अनुबंध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प (राशि नियमानुसार) पर प्रस्तुत करना होगा। जिसका वहन आवेदक को करना होगा।
    2. निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत या ईएमडी राशि/बिड सिक्योरिटी राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन होने की स्थिति केवल निविदा राशि की 0.5 प्रतिशत राशि के बराबर राशि कार्य प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेडयूल बैंक की बैक गारण्टी/शेडयूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Bikaner" के नाम बीकानेर में देय प्रस्तुत करनी होगी।
    3. सीवर मशीनों की सिक्योरिटी हेतु 50 लाख की प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेडयूल बैंक की बैक गारण्टी/शेडयूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Bikaner" के नाम बीकानेर में देय प्रस्तुत करनी होगी
    4. नगर निगम बैंक गांरटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
    5. कार्य प्रतिभूति राशि जब्त करने कि स्थिति में एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
13. प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 90 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है एवं कार्य की समयावधि बढ़ाने पर प्रतिभुति राशि की समयावधि भी संवेदक को बढ़वानी होगी। यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है। तो नगर निगम बीकानेर इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए आर.टी.पी.पी. अधीनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L_2)को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।

14. निविदादाता द्वारा कार्य नही करने पर रिस्क एंड कोस्ट अन्य फर्म से कार्य करवाया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य करवाये जाने पर अंतर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुवे आर.टी.पी.पी अधिनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
15. निविदा संबंधित आर.टी.पी.पी अधिनियम 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013, जी.एफ. एंड ऐ.आर तथा वित्तिय विभाग के सभी नियम यथा परिवर्तन लागू होगें। किसी शर्ते की पालना नही करने पर निविदा शर्तो का उल्लघंन माना जायेगा।
16. सभी प्रकार के न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।
17. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :–** प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशत समपहरण किया जा सकेगा।
    - ❖ जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तो को भंग किया जाता है।
    - ❖ जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
    - ❖ जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नही करता है।
    - ❖ प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
18. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि –
    - ❖ निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नही रखता हो।
    - ❖ निविदा के साथ धरोहर राशि/बिड सेक्युरिटी घोषणा पत्र जमा नहीं किया गया हो।
    - ❖ जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।
    - ❖ क्रय समिति बिना कारण बताये निविदा को निरस्त कर सकती है।
19. समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि क पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम बीकानेर उतरदायी नही होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्धिपत्र/संशोधन ई–प्रोक्योरमेंट/एस.पी.पी.पी. पॉर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।
20. मांगे जाने पर तकनीकी स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।
21. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नही किया जावेगा।
22. Joint Venture फर्म निविदा में भाग नही ले सकती है।
23. सफल निविदादाता द्वारा 01 वर्षो की कार्य अवधि या नगर निगम द्वारा बढाई गई समयावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एंव किसी भी तरह का नगर निगम में बकाया नहीं होने के 02 माह पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
24. निविदा खोलेने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण निविदाऐ नही खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदाये खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
25. निविदा दाता द्वारा प्रदत दरो में सभी व्यय व कर सम्मिलित किये जावेंगे, प्रदत दरे तकनीकी/वित्तिय निविदा खोलने की दिनांक से 120 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता हैं। तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
26. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार आयुक्त नगर निगम बीकानेर को रहेगा। उक्त निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
27. इस निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का एकाधिकार (Absolute Right) निगम में निहित है। जिसका कारण बताने को निगम बाध्य नहीं है ।
28. निविदा में किसी भी तहर का विवाद होने पर अंतिम निर्णय नगर निगम का मान्य होगा। नियम एवं शर्तों में किये गये किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन का अधिकार आयुक्त के पास सुरक्षित होगा।
29. उक्त निविदा अनुबंध राज्य सरकार से विशेष निर्देश प्राप्त होने पर अनुबंध की अवधि को पूर्व में भी समाप्त किया जा सकेगा। जिसके लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
30. निविदा से संबंधित किसी प्रकार की स्पष्टिकरण या सूचना की जानकारी के लिये पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :– नगर निगम कार्यालय, कीर्ति स्थभ के पास बीकानेर–334001,
    ई–मेल nagarnigambikaner@gmail.com मोबाईल नं0 0151–2226906, 0151–2226902

3. वाहन व वाहन चालकों, हेल्पर के संबंध में निविदादाता को दिशा–निर्देश :–

1. कार्य में आवश्यकता के अनुसार श्रमिको को संसाधन संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।
2. वाहन चालक अनुभवी/प्रशिक्षित एवं संबंधि श्रेणी का वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंसधारी होना चाहिए।
3. संवेदक द्वारा वाहन चालकों/हेल्पर को सुरक्षा उपकरण अपने स्तर पर उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपकरण साथ रखने होगें। कार्य हेतु एवं कार्य के दौरान वाहन चालकों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम बीकानेरं उत्तरदायी नही होगा।
4. प्रत्येक वाहन चालक एवं हेल्पर वर्दी धारण करेगा। इसकी जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
5. संवेदक द्वारा मशीनों के संचालन एवं रख–रखाव पर निम्नानुसार न्यूनतम स्टाफ होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार स्टाफ को बढ़ाया जा सकता है जिसके लिये नगर निगम द्वारा लग से कोई खर्चा नहीं दिया जायेगा।

क्र. सं.	मशीन का प्रकार	क्षमता	स्टाफ की संख्या
01	हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन एवं 10000 लीटर क्षमता के 02 डम्प टैंक	10000 लीटर	01 सुपर वाईजर 03 भारी वाहन चालक 01 ऑपरेटर 12 हेल्पर
02	सुपर शकर कम जेटिंग मशीन (2500 ली. फेस वॉटर क्षमता एवं 2000 ली. शल्ज टेंक)	4500 लीटर	01 सुपर वाईजर 01 भारी वाहन चालक 01 ऑपरेटर (04 roading +04 machine)08 हेल्पर
03	सुपर शकर कम जेंटिंग मशीन (2500 ली. फेस वॉटर क्षमता एवं 2000 ली. शल्ज टेंक)	4500	01 सुपर वाईजर 01 भारी वाहन चालक01 ऑपरेटर (04 roading +04 machine)08 हेल्पर
04	सुपर शकर कम मशीन (4500 ली. फेस वॉटर क्षमता एवं 4000 ली. शल्ज टेंक)	8500	01 सुपर वाईजर, 01 भारी वाहन चालक 01 ऑपरेटर 06 हेल्पर

4. तकनीकी विवरण :–

1. संवेदक को उपलब्ध करवाये जाने वाले सीवर मशीनों पर जीपीएस सिस्टम संवेदक को लगवाना होगा तथा प्रत्येक बिल के साथ पैनड्राईव में जीपीएस की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। लगाये गये जीपीएस सिस्टम का मोबाईल ऐप भी होना आवश्यक है तथा मोबाईल ऐप प्लेय स्टोर पर उपलब्ध होना आवश्यक है।
2. प्रत्येक मशीन के लिये अलग–अलग 5000 ली. क्षमता का पानी टैंकर संवेदक द्वारा ही उपलब्ध करवाया जायेगा। जिसमें पम्पिंग करने की मशीन लगी हुयी होनी चाहिए जिससे सीवर मशीन के टैंक को सीधा ही भरा जा सकें।
3. संवेदक को सीवर मशीनें नगर निगम बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। जिनके संचालन एवं रख–रखाव (डीजल, पेट्रोल का खर्चा रख–रखाव का खर्चा, श्रमिकों का खर्चा),सुरक्षा उपकरण जैसे गैस डिडेक्टर, सेफ्टी मास्क, सीवर मेन सुट, सेफ्टी सुज, सिडी, सेफ्टी–रॉप, बारनिंग बोर्ड, ट्रेफिक डाईवर्जन बोर्ड, ट्रेफिक डाईवर्जन कोन आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।
4. संवेदक को सीवर लाईन का सफाई के दौरान पूर्णरूप से डिसिल्टिंग करनी होगी। डिसिल्टिंग की आवश्यक के अनुसार लाईन की Plugging or blocking करनी होगी। साथ ही Plugging or blocking होने पर सीवर लाईन को पम्प लगाकर बाईपास करना होगा। आवश्यकतानुसार संवेदक को पम्प सेट उपलब्ध करवाने होगें। जिसके लिए नगर निगम द्वारा अलग से कोई भुगतान किया जायेगा।
5. भारत सरकार के निर्देशानुसार सीवर चैम्बरो में श्रमिक के उतरने का कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया। अतः संवेदक को सीवर चैम्बर से सिल्ट, पॉलीथीन आदि निकालने के लिए हाईड्रोलिक ग्रेब बैकेट को उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ग्रेब बैकेट के दस्तावेज भी नगर निगम मे जमा करवाने होगें। जिसके लिए नगर निगम द्वारा अलग से कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली सीवर मशीनों का विवरण निम्नानुसार है निविदादाता निविदा भरने पर पूर्व मशीनों का निरीक्षण कर सकता है।

क्र. सं.	मशीन का प्रकार	मशीन की क्षमता	मशीन का मॉडल	कम्पनी
01	हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन एवं 10000 लीटर क्षमता के 02 डम्प टैंक	10000 लीटर	2019	TPS Infra structure Chassis:-Tata Company,
02	सुपर शकर कम जेटिंग मशीन (2500 ली. फेस वॉटर क्षमता एवं 2000 ली. शल्ज टेंक)	4500 लीटर	2019	Ensoul Chassis:-Tata Company
03	सुपर शकर कम जेंटिंग मशीन (2500 ली. फेस वॉटर क्षमता एवं 2000 ली. शल्ज टेंक)	4500	2021	TPS Infra structure Chassis:- Tata Company
04	सुपर शकर कम मशीन (4500 ली. फेस वॉटर क्षमता एवं 4000 ली. शल्ज टेंक)	8500	2021	TPS Infra structure Chassis:-Tata Company

5. दुर्घटना :–

1. निविदा दाता को श्रम अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवायें गयें श्रमिक एवं वाहन चालक की मौके पर कार्य करते हुए या चलायमान स्थिति में किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर निविदा दाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा। निविदा दाता पर श्रम कानून के सभी नियम लागू होगे।
2. कार्य करते समय सीवर मशीन, चालक एवं श्रमिकों की किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो निगम उक्त दुर्घटना के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही व किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगी। समस्त उत्तरदायित्व का भरण निविदादाता का ही होगा।
3. कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि, वाहन दुर्घटना या चोरी होने पर सभी प्रकार के पुलिस अथवा न्यायिक प्रसंगों के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान नगर निगम द्वारा योग्य देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
4. दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर वाहन से हुई टूट–फूट के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
5. दुर्घटना में वाहन के क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने व अन्य किसी भी तरह का टूट–फूट होने पर संवेदक अविलम्ब दुसरा वाहन उपलब्ध करवायेगा।
6. उक्त कार्य में लगे सभी श्रमिकों के बीमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
7. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर तथा श्रमिक की मृत्यू होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
8. समस्त सुपर शकर मशीनें मौके पर कार्य करते हुए या किसी स्थिति में किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर निविदादाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा।

6. वाहन चालकों एवं हेल्पर के सम्बंध में महत्वपूर्ण बिन्दु :–

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक को होगा।
- श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार वाहन चालकों को मजदूर के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
- संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त वाहन चालकों का नियमानुसार ई.पी. एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
- यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवना आदि देने का समस्त उतरदायित्व संवेदक का होगा।
- कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
- सीवर का कार्य करने वाले श्रमिकों का बीमा करवाना ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा। कार्य जोखिम भरा होने से पूर्ण सावधानी रखने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। इसमें नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
- निविदादाता द्वारा सफाई कार्यो पर लगाये गये व्यक्तियों के संबंध में लागू श्रम नियम/अधिनियम/उपनियम आदि की पालना ठेकेदार के द्वारा की जावेगी । नगर निगम बीकानेर का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा । इससे सम्बन्धित किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का दायित्व ठेकेदार का होगा।

7. निविदा प्रपत्र में संशोधन :–

1. नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

2. संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा एवं राज्य सरकार व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कोई आदेश/निर्देश भी इस निविदा का भाग माना जावेगा।

8. **निविदा की अन्य शर्ते**:– सफल निविदादाता को कार्य के दौरान निम्न शर्तो की पालना करनी होगी।

1. सम्पूर्ण बीकानेर नगरीय क्षेत्र में सीवर चैम्बर्स की सफाई, चौकिंग हटाने तथा चैम्बर्स से निकाली गई सिल्ट उठाने के कायZ करवाने होगें।
2. व्यक्ति/संस्था/ऐजेन्सी को सीवर सफाई कार्य करवाना अतिआवश्यक होगा। सीवरेज सफाई के लिए आवश्यक अन्य उपकरण संबंधित व्यक्ति/संस्था/ऐजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराने होंगे।
3. मैनहॅाल की सफाई हेतु आवश्यक औजार जैसे गैती, लोहे की रोडे, फावड़ा, छैनी, हथौड़ी, बाल्टी, सैफ्टी बैल्ट, बांस,खुरपी, खपच्ची, मजबूत रस्सी, टार्च की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी। सीवर लाईन की चौकिंग दूर करने हेतु फलेक्सिसबल स्टील रोड्स एवम् आवश्यक टूल जैसे कटर, भाला, रूटकटर तथा सीवर सफाई काम में आने वाले समस्त उपकरण आदि सामान की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी।
4. सीवर लाईन की चौकिंग हटाने व मैनहॉल की सफाई के कार्य में पर्याप्त अनुभवी व कुशल मजदूरों को ही लगाया जावेगा तथा लगाये गये श्रमिको को आवश्यक उपकरण जैसे सेफ्टी बैल्ट, मजबूत रस्सा, हेलमेट, गैस मास्क, रबर के दस्ताने आदि संवेदक को उपलब्ध कराने होगें।
5. सीवर लाईन सफाई करते समय यदि कोई खुदाई का कार्य किया गया है तो कोई भी राहगीर न गिरे इसके लिए सुरक्षा हेतु बेरीकेटिंग की व्यवस्था (जैस बलीया आदि) लगाकर व्यवस्था संवेदक को करनी होगी।
6. सामान्यतः रोडिंग से 6 इंच से 12 इंच व्यास की सीवर लाईनो की सफाई करवायी जानी है परंतु आवश्यकता पडने पर 12 इंच से बडे आकार की सीवर में भी रोडिग करनी होगी।
7. कार्य पूर्ण करने के पश्चात फ्रेम से मिट्टी हटाकर मेनहॉल कवर को उसकी सही स्थिति में वापिस रख कर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि कवर सही ढंग से फिट हो गया है व उसमे कोई रबक नही है।
8. यदि सीवर मेनहोल के ढक्कन कही दब गये है तो संबंधित अधिकारियो के मार्गदर्शन मे ही खुदाई करावे। रोड कटिंग, केबल इत्यादि की स्थिति हेतु निगम अभियन्ताओं की उपस्थिति में ही कार्य करावें। खुदाई का कार्य संवेदक को करवान होगा, जेसीबी, ट्रेक्टर आदि की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी।
9. कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता/स्वच्छता निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी निगम के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी/आयुक्त/उपायुक्तगण/महापौर के द्वारा दूरभाष पर निर्देश प्राप्त होने पर शिकायत का निस्तारण तुरन्त करना होगा।
10. दर अनुबंध की अवधि कार्यादेश की दिनांक से 1 वर्ष तक होगी परन्तु नई निविदा होने या स्वीकृत होकर कार्यादेश होने तक संविदा अवधि बढ़ाई जा सकेगी। संवेदक को इसी दर पर कार्य करना होगा। कार्य अहस्तान्तरणीय है एवं उप ठेके पर नही दिया जा सकेगा ।
11. निविदादाता को नगर निगम की हैल्पलाईन शाखा से प्रतिदिन सीवर चौकिंग संबंधित समस्त शिकायत को प्राप्त करते हुए सीवर लाईन ओवर फ्लो होने की सूचना दूरभाष पर प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर शिकायत को takeover करना होगा।
12. संवेदक को राजपत्रित अवकाश के दिनो में भी सीवर चॉकिंग हटाने का कार्य 365 दिन करना होगा, उक्त कार्य हेतु कर्मचारियो की तैनाती संवेदक अपने स्तर पर करेगा तथा कार्यरत कर्मचारियो को साप्ताहिक अवकाश संवेदक द्वारा दिये जाने की व्यवस्था की जावेगी।
13. सफल संवेदक की निविदा स्वीकृत होने पर प्रति माह करवाये गये कार्य की दैनिक शिकायतो का चार्ट हेल्पलाइन से प्राप्त कर उन पर संबधित स्वच्छता निरीक्षक/मुख्य स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी द्वारा कार्य पूर्णता का प्रमाण–पत्र देने के पश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख को अवश्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। भुगतान सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा। प्रक्रिया में समय लगने के कारण निविदादाता द्वारा कार्य बन्द नहीं किया जावेगा।
14. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक (मय उपकरण) वयस्क होने आवश्यक होगें तथा 18 वर्ष से अधिक आयु एवं हस्ट–पुष्ट श्रमिक ही उपलब्ध करवाने होगें । बीमार व कमजोर श्रमिक स्वीकार नहीं किये जायेगें ।
15. सीवर मैनहॅालो के कवर्स को उचित साधन के द्वारा सावधानीपूर्वक खोला जावेगा ताकि उनके कोई क्षति न पहुंचे। यदि लापरवाही से कार्य करने पर कवर अथवा उसके फ्रेम को क्षति पहुंचती है तो उसकी तत्काल निःशुल्क मरम्मत करने का दायित्व निविदादाता का होगा। यदि मेनहोल कवर अथवा उसका फ्रेम लापरवाही से कार्य करने से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उसे निविदा दाता द्वारा निःशुल्क अविलंब बदला जावेगा।
16. सवेदक को सीवर चॉकिंग हटाने के कार्य हेतु सुपर शकर मशीन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जावेगा। सुपर शकर के संधारण एवं संचालन, रख–रखाव मय चालक, हेल्पर, सुपरवाईजर एवं ईंधन सहित आदि संवेदक के ही होंगे। निगम की मशीन खराब होने पर निविदादाता द्वारा मशीन की मरम्मत 24 घण्टे में सही करवाकर में व्यवस्था कर कार्य निस्तारण किया जाना आवश्यक होगा।
17. समस्त कचरा मिट्टी एवम् पत्थर बाहर निकालकर सीवर सिस्टम को चालू करना होगा।
18. एक मैनहॉल से दूसरे मैनहॉल के बीच की लाईन की जांच के दौरान चालू करके चैक कराना आवश्यक होगा। आवश्यकता पड़ने पर पानी निकालने के लिए ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर पम्प की व्यवस्था करनी होगी।
19. संवेदक को प्रतिमाह प्राप्त होने वाली शिकायतो का निर्धारित समय में निस्पादन करना होगा। चैम्बर ढूंढने वाले यंत्र की व्यवस्था संवेदक को आवश्यकरूप से करनी होगी।

7.3.

20. शिकायत पंजिका अथवा जॉब आर्डर से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण पश्चात निविदादाता उन शिकायतों को संबंधित मुख्य स्वच्छता निरीक्षक/स्वच्छता निरीक्षक (प्रभारी) सम्बन्धित स्वच्छता निरीक्षक के द्वारा सत्यापन करवायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन बिलों के भुगतान हेतु प्रेषित किए जाएंगे।
21. निविदादाता को नगर निगम भण्डार में वाहनों की पार्किंग कर सकता है जिसके लिये प्रति मशीन पार्किंग शुल्क 1000/– होगा। स्वयं के स्तर से पार्किंग करने पर शुल्क नहीं लिया जायेगा।
22. प्राप्त शिकायत के निस्तारण से पूर्व निविदादाता द्वारा शिकायत कर्ता से नगर निगम द्वारा जारी सीवर स्वीकृती पत्र के क्रमांक/दिनांक अवश्य रूप से नोट करें।
23. निविदादाता अपना एक कार्यालय निगम क्षेत्र में रखेगा कार्यालय में टेलीफोन एवं मोबाईल रखेगा जिसके नंबर की सूचना निगम को देगा तथा कार्यालय में तैनात कर्मचारी निगम स्तर पर दी जानेवाली शिकायतो को एक पंजीका में संधारण करेगा जिसमें शिकायत प्राप्त होने एवं निराकरण की दिनांक व समय अंकित होगा।
24. कार्य आदेश प्राप्ति होने के 07 दिवस में निविदादाता को निविदा शर्तों के अनुरूप कार्य शुरू करना अनिवार्य होगा।
25. सफल निविदादाता को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो/आदेशो का पालन करना होगां। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी कर संवेदक को चुकाने होंगे।
26. निविदा की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 01 वर्ष होगी । जिसे बढ़ाया जा सकता है तथा 01 वर्ष 06 माह के पश्चात् निविदा अवधि को संवेदक की सहमति होने पर 06 माह और बढ़ाया जा सकता है।
27. संवेदक को निगम द्वारा अधिकृत निर्देशानुसार सुपर शकर मशीनों का संचालन कार्य किया जावेगा। यदि मशीनों अधिकृत के निर्देशित स्थल से अन्यत्र कार्य करती हुयी पायी जाने पर या मशीन का दुरूपयोग होने पर पैनेल्टि वसूल की जावेगी।
28. सुपर शकर मशीनों के चालक, खलासी पर होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय जैसे पी.ओ.एल. टूट–फूट मरम्मत चालक व मजदूरों के वेतन भत्ते व अन्य सभी प्रकार के खर्चो की जिम्मेवारी निविदादाता को वहन करनी होगी।
29. समस्त सुपर शकर मशीनें मौके पर कार्य करते हुए या चलायमान स्थिति में किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर निविदा दाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा ।
30. कार्य करते समय निगम सुपर शकर मशीनों के चालक एवं खलासी की किसी भी प्रकार की दुर्घटनो होती है तो निगम उक्त दुर्घटना के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही व किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। समस्त उत्तरदायित्व का भरण निविदादाता का ही होगा ।
31. सफल निविदादाता को उपलब्ध करवाई गई सुपर शकर मशीनों से 8 घंटे कार्य लिया जावेगा कार्य के घंटो की गणना शिकायत प्राप्त होने वाले स्थान पर पहुँचने से शुरू होगी। कार्य का सम्य नगर निगम द्वारा निर्धारित किया जावेगा। भिड–भाड़ वालों क्षेत्रों रात्रिकालिन सीवर सफाई भी करवाई जायेगी।
32. निगम द्वारा मशीनों चालू हालत (Woring-condition) में संवेदको को सुपुर्द की जावेगी तत्पश्चात् मशीनों पर होने वाली समस्त टुट–फूट खराबी आदि को ठीक (Repaird) करवाने की जिम्मेवारी संवेदको की होगी। निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् सामान्य चालू हालत (Woring-condition) मे मशीनें को संवेदको द्वारा निगम को सुपुर्द करना होगा एवं मैकेनिकल सहायक अभियंता की रिपोर्ट सहित सुपुर्द होगी। गैराज प्रभारी से प्रत्येक माह तकनीक रिपोर्ट संतोषजनक पेश करे के बिलो का भुगतान किया जावेगा।
33. कार्य का निरीक्षण किसी भी समय निगम के महापौर/आयुक्त/उपायुक्तगण/लेखाधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/मुख्य स्वच्छता निरीक्षक/सर्किल निरीक्षक द्वारा किया जा सकेगा।
34. निविदादाता द्वारा किसी भी निविदा शर्तो/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी ।

9. कार्यविधि,कार्य क्षेत्र की सीमा :–

1. नगर निगम बीकानेर शहर के सभी 80 वार्डो में स्थित सभी प्रकार की सीवर लाईनों,मैनहॉल,क्लवर्ट एवं कवर नाले व नाली की ब्लॉकेज को खोलना होगा।
2. सीवर मशीनो का उपयोग सीवर लाईन एवं मैनहॉल की सफाई कार्य में लिया जायेगा। लेकिन ऐसे नाले या नाली जो की कवर है वहां पे भी उक्त मशीनों का उपयोग किया जायेगा।
3. सीवर लाईन सफाई से संबंधित जारी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के आदेशों के अनुसार ही सीवर लाईन की सफाई की जायेगी। संवेदक को सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण श्रमिकों को उपलब्ध करवाये जायेगें।
4. संवेदक को सीवर लाईन का सफाई के दौरान पूर्णरूप से डिसिल्टिंग करनी होगी। डिसिल्टिंग की आवश्यक के अनुसार लाईन की Plugging or blocking कर सकता है साथ ही Plugging or blocking होने पर सीवर लाईन को पम्प लगाकर बाईपास करना होगा एवं प्रत्येक Plugging or blocking की फोटो लेनी आवश्यक होगी। जिसका प्रमाणीकरण सीवर प्रभारी/कनिष्ठ अभियंता/स्वच्छता निरीक्षक से करवाना होगा।
5. सफल निविदादाता द्वारा बीकानेर नगर निगम द्वारा प्रतिदिन 08 घंटे तक कार्य करवाया जायेगा। प्रतिदिन होने वाले कार्य में 08 घंटे से कम कार्य करने पर प्रतिदिन की राशि में से 01 घंटे की राशि की कटौती की जायेगी तथा 08 घंटे से अधिक कार्य के लिए आदेशित करने पर प्रति घंटे की राशि अनुसार भुगतान किया जायेगा। प्रतिदिन में कार्य करने का समय की शुरूआत वार्ड में शिकायत लोकेशन पर पहुँचने से होगी। पार्किंग स्थल से शिकायत लोकेशनों पर पहुँचने एवं शिकायत लोकेशनों से वापिस पार्किंग पहुँचने के समय को 08 घंटे की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। आवश्यकतानुसार रात्रि में भी कार्य करवाया जा सकता है।

6. सीवर लाईन का गंदा पानी यदि पानी की सप्लाई लाईन से किसी भी कारणवश (जैसे गंदा पानी नल में आने पर) जुड जाती है तो ऐसी स्थिति में तुरन्त चाँकिंग व गन्दे पानी की आपूर्ति का पीने के पानी की सप्लाई लाईन से अलग करने की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी (चाहे रात्रि में हो) यानी 24घंटे में किसी भी समय कार्य करना होगा।

नोट :– भुगतान प्रक्रिया :–

1. प्रत्येक माह का बिल सर्किल के स्वच्छता निरीक्षक या सीवर प्रभारी द्वारा लॉग बुक मय हस्ताक्षरमय सील प्रमाणीकरण एवं मासिक रिपोर्ट एवं 4x6 के रंगीन फोटो उपरान्त जीपीएस रिपोर्ट के साथ आगामी 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
2. स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक अभियंता एस.बी.एम/प्रभारी एस.बी.एम. द्वारा बिल एंव जीपीएस रिपोर्ट का सत्यापन/प्रमाणिकरण करने के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।

10. शास्ति प्रावधान

क्र. सं.	शास्ति का विवरण	शास्ति राशि
01	मशीनों के साथ सुरक्षा उपकरण नहीं होने पर	2000/– रू प्रति मशीन/प्रतिदिन
02	हैल्पलाईन से प्रतिदिन शिकायत प्राप्त नही करने पर	1000/– रू प्रतिदिन
03	शकर मशीन पर जीपीएस सिस्टम नहीं लगा होने पर	1000/– रू प्रति मशीन/प्रतिदिन
04	निर्धारित 24 घण्टे के समय में सीवर की शिकायत को ठीक नहीं करने पर	1000/– रू प्रति शिकायत
05	सफाई के दौरान सीवर लाईन से सक्क किये गये पानी को निर्धारित एसटीपी या चेम्बर में खाली नही करने पर	1000/– रू प्रतिदिन प्रति मशीन
06	सीवर सफाई की शिकायत एक स्थान पर 24 घण्टे के अन्दर दोबारा आने पर	1000/– रू प्रति शिकायत
07	शकर मशीन पर जीपीएस सिस्टम खराब होने पर	1000/– रू प्रति मशीन/प्रतिदिन
08	मशीनों के लिए पानी का टैंकर उपलब्ध नहीं करवाने पर।	1000/– प्रतिदिन
09	सीवर लाईन को बाईपास करने के लिए आवश्यकतानुसार पम्प सेट, पाईप एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने पर।	1000/– प्रतिदिन
10	ड्राईवर व हेल्पर निर्धारित ड्रेस कोड में उपस्थित नहीं होने पर	200/– रू प्रति हेल्पर या ड्राईवर प्रतिदिन
11	हेल्पर द्वारा किसी के साथ अपशब्द कहने की पुष्टि होने पर	300/– रू प्रति घटना
12	सीवर मशीनों में जमा सिल्ट को निर्धारित स्थान पर खाली नहीं करने पर	1000/– रू प्रति घटना
13	पानी की कमी के कारण सीवर मशीन कार्य नहीं करने पर	500/– रू प्रति घण्टा
14	निर्धारित श्रमिक उपलब्ध नहीं कराने पर	500/– रू प्रति श्रमिक प्रतिदिन
15	कार्य करने के स्थान पर चेतावनी बोर्ड नहीं लगाने पर	500/– रू प्रति घटना
16	कार्य के दौरान खोले गये चेम्बर के चारों तरफ रिफलेक्टिंग टेग नही लगाने पर	500/– रू प्रति घटना
17	सीवर लाईन की सफाई के बाद सिल्ट को 04 घण्टे के अन्दर नही उठाने पर	500/– रू प्रति घण्टा
18	चेम्बर ढूंढने के लिये उपयोग मे लिये जाने वाला उपकरण उपलब्ध नहीं होने पर	500/– रू प्रति दिन
19	सीवर हेल्पर बिना मास्क एवं गल्बस साथ कार्य करते हुवे पाये जाने पर	100/– रू प्रति हेल्पर

7.3 लेखाधिकारी उप-विधि परामर्शी सहायक अभियंता उपायुक्त नगर निगम 09/3/22

11. **वितीय बिड(द्वितीय भाग)**:– तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओ की वित्तीय बिड खोली जायेगी. निविदादाता निम्न प्रपत्र में ऑनलाईन दर प्रस्ताव देना होगा। जिसमें सभी प्रकार के कर निविदादाता को ही वहन करने होगें।

दर प्रस्ताव प्रपत्र

S. no.	Item	Qty.	Unit	Rate (Including all tax)
1	Operation & maintenance of high power super sucker cum jetting machine of 10,000 Ltr. Capacity and two sludge disposed tanker, complete unit with man power, diesel, oil, and de- silting of various sewer line,sewer manholes and storm water drains etc. (Machine shall be provided by nigam)	01	per day	
2	Operation & maintenance of super sucker cum jetting machine of 8500 Ltr. Capacity, super sucker cum jetting machine of 4500 Ltr. Capacity (2019 Model), super sucker cum jetting machine of 4500 Ltr. Capacity(2021 Model), complete unit with man power, diesel, oil, and de- silting of various sewer line,sewer manholes and storm water drains etc. (Machine shall be provided by nigam)	01	per day	
3	Plugging of the existing sewer line and manhole with 2 nos. MS sheet 6 mm thick with angle iron frame and braces shutters placed on both the opening of pipes. the manhole with empty cement (pvc) bags filled up with earth up to suitable depth to avoid leakage from of sewage from u/s side to be bypassed, till the desilting work is completed including replugging required in case of heavy leakage. the steel shutters and the earth filled PVC cement bags shall be removed after the completion of work and then the main hole shall be desilted for following sizes of sewer line.			
4	**Size up to 250 mm dia.** **300 mm- 600 mm dia.**	01 01	Each Each	
5	**700 mm- 900 mm dia**	01	Each	
6	**1000mm dia above**	01	Each	
Total (Including All Tax)				

नोट :– वित्तिय बिड में L-1 की गणना वित्तिय बिड के प्रस्ताव क्रमांक 01 से 07 के कुल योग के आधार पर की जायेगी।

- **निविदा प्रपत्र पढ़ एवं समझ लिया है इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर सील लगाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा मैं अपनी दर ऑनलाईन वित्तिय प्रस्ताव में प्रस्तुत कर रहा हूँ।**

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का पत्राचार हेतु पता, ई–मेल आई.डी., मोबाईल नम्बर अंकित करें...

....

....

परिपत्र 1

सीवर शकर मशीन के माध्यम से सीवर सफाई कार्य की मासिक रिपोर्ट

फर्म का नाम .... माह................................

सीवर शकर मशीन का रजिस्टेशन नं0 ....

क्र. सं.	दिनांक	सीवर सफाई की गई का स्थान एवं शिकायत सं.	सप्लाई किये गये कुल पानी के टैंकर	सीवर सफाई के लिए प्लगिंग की गई सीवर की डाया एवं सीवर की सं.	सीवर लाईन को बाईपास करने के लिये चलाये गये कुल घंटे	शास्ति राशि	शास्ति का विवरण
कुल							

फर्म के प्रतिनिधि व्यक्ति का नाम
हस्ताक्षर

स्वच्छता निरीक्षक का नाम
हस्ताक्षर

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत चैक लिस्ट

क्र0 सं0	दस्तावेज का विवरण	संलग्न है या नही
01	निविदा शुल्क 2000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस जयपुर, 1000 रूपये भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को निविदा दस्तावेज के साथ ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।	
02	बिड सिक्योरिटी राशि 4,82,495.2/– लाख का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रसीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan .gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।	
03	फर्म/ संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र	
04	वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि	
05	आयकर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि	
06	गत वित्तीय 04 वर्षो (2017–18,2018–19,2019–2020,2021–21) एवं चालु वर्ष वितीय वर्ष 2022–23 में से किसी वर्ष में सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन या सुपर शकर कम जेटिंग मशीन के माध्यम से सीवर लाईन एवं सीवर मैनहॉल की सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका में अधिशाषी अधिकारी नगर निगम में आयुक्त/उपायुक्त एवं अन्य विभाग में अधिशाषी अभिंयता या अधिक ग्रेड, के अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। 3. कुल निविदा राशि का 75 प्रतिशत का एक कार्य या एक से अधिक कार्य नगरीय निकाय/सरकारी संस्था में हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन या सुपर शकर कम जेटिंग मशीन के माध्यम से सीवर लाईन एवं सीवर मैनहॉल की सफाई कार्य का अनुभव।	
07	फर्म ब्लेक लिस्ट नही होने का 100 रू. का स्टाम्प पर शपथ पत्र।	
08	फर्म का अंतिम 03 वर्ष का औसम टर्नऑवर निविदा राशि के 50 प्रतिशत के बराबर या अधिक होना चाहिए। फर्म को सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
09	निविदा की समस्त शर्तो के स्वीकार करने के लिये निविदा परिपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं सिल लगाकर निविदा परिपत्र की प्रतिलिपि अपलोड करना।	
10	निविदादाता द्वारा आरटीपीपी के ऐक्ट के सेक्शन 7 एवं 11 मय घोषणा पत्र 100/– रू के स्टाम्प पर प्रतिलिपि।	
11	संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'अ' में अन्डर टेकिंग 100/– रू के स्टाम्प पर देनी होगी।	

नोट :– सभी घोषणा पृथक–पृथक स्टाम्प पर ही मान्य होगी।

दिनांक ....

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील

प्रारूप 1

शपथ पत्र

(100 रूपये के स्टाम्प पर)

कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र मे नगर निगम की उपलब्ध एक हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन एवं 03 सुपर शकर कम जेटिंग मशीन के संचालन, रख–रखाव, पीओएल आदि के साथ सीवर लाईन एवं मैनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य

मैं.. एवं मेरी फर्म.. यह घोषणा करते है कि पिछले 05 साल में फर्म किसी भी सरकारी संस्था/अर्द्धसरकारी संस्था/विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं है। यदि यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

मय हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

फर्म का नाम

शपथ पत्र

(100 रूपये के स्टाम्प पर)

कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र मे नगर निगम की उपलब्ध एक हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन एवं 03 सुपर शकर कम जेटिंग मशीन के संचालन, रख–रखाव, पीओएल आदि के साथ सीवर लाईन एवं मैनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य

मैं... एवं मेरी फर्म... यह घोषणा करते है कि नगर निगम बीकानेर मे कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। यह घोषणा गलत/असत्य पाई जाती है तो फर्म के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए सहमत हूँ।

मय हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

फर्म का नाम

शपथ पत्र

(100 रूपये के स्टाम्प पर)

Declaration by the Bidder in Compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder

In relation to our bid submitted to Commissioner, Municipal Corporation bikaner for बीकानेर नगर निगम के नगरीय क्षेत्र मे नगर निगम की उपलब्ध एक हाईपॉवर सुपर शकर कम जेटिंग मशीन एवं 03 सुपर शकर कम जेटिंग मशीन के संचालन, रख–रखाव, पीओएल आदि के साथ सीवर लाईन एवं मैनहॉल के ब्लॉकेज को खोलना एवं सीवर लाईन की प्लगिंग कर डी–सिल्टिंग कार्य in response to their notice Inviting Bids No .... Dated .... We hereby Declare under section 7 & 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the bidding document issued by the procuring Entity.
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the central government or the state government or any local authority, as specified in the bidding document.
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons.
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to our qualifiactions to enter into a procurement contract within a period of three years preceeding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant of debarment proceeding.
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in public procurement Act, the Rajasthan Transparency in public procurement Rules and this Bidding Document, Which materially affects fair competition.
6. We have complied and shall continue to comply with the code of integrity as specified in the Rajasthan Transparency in public Procurement Act, the Rajasthan Transpanerncy in public procurement rules and this bidding document, till Completion of all our obligation under the contract.

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:

प्रारूप 4

कार्यालय नगर निगम बीकानेर

–: अण्डर टेकिंग :–

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियों सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा कार्य प्रतिभूति राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा कार्य प्रतिभूति राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमारे कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 120 दिवस से कम समय के लिए प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नही किया (4) निविदा प्रपत्र में अगर नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नही की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। इन वाहनों से संबंधित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किया जायेगें।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि कार्य प्रतिभूति राशि का कार्य संतोष जनक समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तो, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश की निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देतें है।

महामारी में बजट में फर्म रिस्क एंड कॉस्ट निविदा होने पर मेरे द्वारा भुगतान किया जायेगा या नगर निगम स्वतंत्र है।

दिनांक ....

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील